न्यायालय सहायक कलक्टर बाप केम्प रोहिणा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा R.A.S.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आसूराम पुत्र रामूराम जाति ब्राहमण निवासी रोहिणा तहसील बाप जिला–जोधपुर (राज.)		1. मदनलाल पुत्र रामूराम 2. खमादेवी पत्नि रामूराम जाति ब्राहमण निवासी रोहिणा तहसील बाप जिला जोधपुर 3 शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा जैसला 4 श्रीमान तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जस्व वाद संख्या :– 47/2017

पस्थित अधिवक्ताः–

1. वादी की और से श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी
2. प्रतिवादी संख्या 1 व की और से श्री मदनगोपाल शर्मा
3. प्रतिवादी संख्या 3 उप. नही
4. प्रतिवादी संख्या 4 पैराकार सरकार

दिनांकः– 25/5/17

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 केम्प रोहिणा में पेश हुई। वादी के वाद का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि खसरा नंबर 374/1 रकबा 62.11 बीघा, खसरा नंबर 398/1 रकबा 71.03 बीघा, खसरा नंबर 201 रकबा 129.19 बीघा सरहद मौजा रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील बाप में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रामूराम व अन्य खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। वादी के पिता रामूराम फौत हुये तो मुतवफी रामूराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ। नामान्तरकरण करते समय पटवारी हल्का ने मनमर्जी से वादी का नाम आसरण पुत्र रामूराम दर्ज कर दिया। जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम आसूराम पि. रामूराम है वादी के मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में भी वादी का नाम आसूराम ही दर्ज है। इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 374/1 रकबा 62.11 बीघा, खसरा नंबर 398/1 रकबा 71.03 बीघा, खसरा नंबर 201 रकबा 129.19 बीघा सरहद मौजा रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील बाप में दर्ज अपने गलत नाम आसरण पि. रामूराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम आसूराम पि. रामूराम के नाम की खातेदारी की घोषणा करवाने का यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से वकील श्री मदनगोपाल शर्मा ने वकालतनामा व इकबालिया जबाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 उप. नहीं आये। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार बाप ने उप. होकर जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु पेश हुई।

सहायक कलक्टर
केम्प
राजस्व लोक अदालत-

पत्रावली में अभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन या गया। बाद बहस मनन व अवलोकन पाया गया कि ग्राम रोहिणा के खसरा नंबर 374/1, 3/1, 201 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार रामूराम के फौत हाने पर जरिए विरासत नामान्तरकरण ख्या 625 द्वारा वादी का नाम रेकर्ड में आसकरण पि. रामूराम दर्ज हुआ। संवत 2063–2066 की ाबंदी चौसाला लेख करते समय सेवन से आसकरण पि. रामूराम के बजाय आसरण पि. रामूराम दर्ज दिया गया। जो आज तक राजस्व रेकर्ड में आसरण पि. रामूराम दर्ज चला आ रहा है। वादी के ुद्ध नाम की जगह शुद्ध नाम आसूराम पि. रामूराम दर्ज किया जाना उचित है। उक्त तथ्य प्रतिवादी ख्या 4 के जबाब से प्रमाणित होते है। वादी ने अपने वाद को तथ्यों एवं दस्तावेजात से साबित किया इसलिए वादी का का वाद स्वीकार योग्य हाने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील बाप के सरा नंबर 374/1 रकबा 62.11 बीघा, खसरा नंबर 398/1 रकबा 71.03 बीघा, खसरा नंबर 201 कबा 129.19 बीघा भूमि में दर्ज वादी के गलत नाम आसरण पि. रामूराम के स्थान पर वादी को उनके ही एवं वास्तविक नाम आसूराम पि. रामूराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ष प्रविष्टीया यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप को आदेशित किया जाता है। कि रहन मुक्त का प्रमाण त्र पेश होने पर माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा अलग जारी हो। निर्णय की पालना हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो । दाखिल दफ्तर ।

निर्णय आज दिनांक 25/5/2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के हत आयोजित केम्प अटल सेवा केन्द्र रोहिणा में मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर -बाप
केबाप (जोधपुर)
राजस्व लोक अदालत-